संख्याः-03/2024/आई/670345/2024

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊ ::दिनांकः 18 जून, 2024**

विषयः स्थानांतरण नीति, 2024-25 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में समूह-'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-210/स्था0-2/1-ख/13(3268)/2024, दिनाँक 03.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समूह-'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-3516/37-1-2014-5(51)/2014, दिनाँक 05.11.2014 के क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या-1/2023/675/सैंतीस-3-2023, दिनाँक 21.06.2023 के अनुरूप वर्ष 2024-25 हेतु स्थानान्तरण नीति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक अनुभाग4, उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए निर्गत स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-4/2024/144-सामान्य/47-का-4-2024-1/3/96, दिनाँक 11.06.2024 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, विभागीय स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-1/2023/675/सैंतीस-3-2023, दिनाँक 21.06.2023 के अनुसार स्थानान्तरण वर्ष 2024-25 हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनाँक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0- द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in